बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं0–सी0एस0–01 / ए0 1–107 / 99......2618.........

प्रेषक,

अशोक कुमार चौधरी,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 15 नवम्बर, 2007

विषयः– **मंत्रिपरिषद् के निर्णय हेतु उपस्थापित किये जाने वाले संलेख प्रस्तावों के संबंध में।**

प्रसंगः– **सी0एस0 01 / ए01–107 / 99–15 दिनांक–04.01.07 तथा पत्रांक–2175 दिनांक–02.12.06**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं, जिनमें शीघ्र निर्णय की जरूरत वाले मामले भी मंत्रिपरिषद् की कार्यसूची में शामिल करने के लिए बैठक के कुछ समय पूर्व ही भेजे जाते हैं। यह उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। अतः अनुरोध है कि जो भी ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले हों, उनकी संचिकाएँ पर्याप्त समय पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेजी जाय। जिन मामलों में समयबद्ध निर्णय आवश्यक हो, उनमें मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से संपर्क भी कर लिया जाए।

उपर्युक्त के संदर्भ में यह भी कहना है कि कुछ विभागों के संलेख प्रस्ताव की गोपनीयता बनी नहीं रहती है। कुछ मामलों में तो समाचार पत्रों में प्रस्ताव पूर्णरूप से पहले ही प्रकाशित होने के दृष्टांत सामने आए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग में ऐसी व्यवस्था करें, जिससे मंत्रिपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत संलेख में निहित प्रस्ताव की गोपनीयता अक्षुण्ण रहे। इस आदेश का अनुपालन निश्चित रूप से दृढ़ता से किया जाए।

विश्वासभाजन

अशोक कुमार चौधरी
15.11.07

(अशोक कुमार चौधरी)
सरकार के मुख्य सचिव